12

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 700-दों/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-1-2006 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 230/2000-01 अपील

1- घुरउप्रसाद पुत्र स्व. मोलई पटैल
2- मंगलेश्वर पुत्र धुरउप्रसाद पटैल
3- कमलेश्वर पुत्रघुरउप्रसाद पटैल
निवासीगण ग्राम मलैगवां तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मुन्नीलाल मृतक पुत्र श्रीराम कुम्हार
वारिस
श्रीमती रामकली पत्नि स्वर्गीय मुन्नीलाल
ग्राम पटैहरा(वस्तीवानी) तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 25_06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 230/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण कमांक 78 अ 6/98-99 एंव 77 अ-6/98-99 तथा 75 अ-6/98-99 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 20-10-2000 से ग्राम पटेहरा वस्तीवानी की भूमि सर्वे कमांक 29 रकबा 1.28 , 93 रकबा 0.44, 94 रकबा 1.20, 95 रकबा 0. 11, 232 रकबा 0.24, 280/1 रकबा 0.36, 253 रकबा 0.39, 387/1 रकबा 0.29, 451 रकबा 0.54, 506 रकबा 1.17 एकड़ पर मृतक मुन्नीलाल का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मउगंज/हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज/हनुमना ने प्रकरण कमांक 11 अ 6/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-1-2001 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज/हनुमना के आदेश दिनांक 4-1-2001 के विरूद्व द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 230/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-06 से अपील अस्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हनुमना व्दारा वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय मुन्नीलाल के नाम किये गये नामान्तरण पर अनुविभागीय अधिकारी मउगंज/हनुमना ने संयुक्त आदेश दिनांक 4-1-2001 में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि अपीलांट्स व्दारा विक्रय पत्र का विक्रय मूल्य विकेता को अदा नहीं किया गया है एंव विक्रय मूल्य की अलग अलग शर्तनामा व लेख प्रस्तुत किया गया है। शर्तनामा व लेखों को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया है। विकेता लावल्द फोत हुआ है जिसके कारण बसीयत की गवाहों से भी परीक्षण पर लेख तस्दीक नहीं हैं। मृतक भूमिस्वामी देवशरण के बारे में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश में विवेचना कर बताया है कि देवशरण व अपीलांट्गण की जातियां अलग अलग हैं मृतक देवशरण कुम्हार जाति का होकर अनुसूचित जाति संवर्ग का है जबकि अन्य सामान्य वर्ग पटैल

है। ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के व्यक्ति व्दारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की सेवा परिवरिश करना एंव उसका दाह संस्कार , किया-कर्म करना सामाजिकता के आधार पर संभव नहीं है। मृतक भूमिस्वामी देवशरण व्दारा दिनांक 7-5-1998 को अपने सगे भजीते मुन्नीलाल के नाम पूर्व के समस्त लेखों को समाप्त करते हुये लिखतम कराई है जो साक्ष्य से प्रमाणित पाई गई है जिसके आधार पर मृतक मुन्नीलाल के हित में तहसीलदार व्दारा किये गये नामान्तरण को अनुविभागीय अधिकारी ने उचित माना है।

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 16-1-2006 में की गई विवेचना के अवलोकन पर भी यही स्थिति है। अपर आयुक्त व्दारा आदेश के पद 5 में निष्कर्ष दिया है कि तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा 110 के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार विधिवत आदेश पारित किया है। अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संदेहात्मक है। अपीलार्थी क्रमांक 2 व 3 ने किसी प्रकार का विक्रय प्रतिफल नहीं दिया है बल्कि एक रसीद 30,000/- रूपये की दी है एंव 6000/-रू. की कोई रसीद नहीं दी है। इस प्रकार धोखा देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर देवशरण के हस्ताक्षर कराना पाया गया है एंव बिना प्रतिफल के विक्रय अपूर्ण होना निरूपित करते हुये उन्होंने अपील निरस्त की है। प्रकरण में दलील दी गई है विक्रय पत्र की बैधता की जांच राजस्व न्यायालय नहीं कर सकते हैं तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय एंव अपर आयुक्त न्यायालय ने गलत व्याख्या करके आवेदक के हित में हुये विक्रय पत्र की अनदेखी की है।

1. बलीराम विरूद्व आत्माराम 1986 (2) म0प्र0वीकली नोटस 181 में माननीय सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि यह सबूत का भार बसीयत के आधार पर मांग करने वाले पर है कि वह विल के संबंध में यह सावित करे कि वह समुचित बैध रूप से निष्पादित हुई थी।
2. भागरतावाई विरूद्व श्रीमती देथलावाई 1999 रा0नि0 298 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि कपट व्दारा निष्पादित विक्रय विलेख व्दारा कोई हक अंतरित नहीं होता है।
3. म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 धारा 110 – नामान्तरण नियम 32 – नवीन नामान्तरण नियमों का नियम 32 राजस्व न्यायालयों को यह शक्तियां देता है कि वह पक्षकारों के बीच हक के प्रश्न क विनिश्चय करे।
4. नन्नावाई विरूद्व खोरवाहरा 1987 रा.नि. 293 में बताया गया है कि रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख के संदर्भ में राजस्व न्यायालय को यह जांच करने की अधिकारिता है कि संव्यवहार विकय है अथवा बंधक – अन्यथा व्यथित पक्षकार सिविल न्यायालय में जा सकता है।

अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 16-1-2006 में विस्तृत विवेचना करते हुये पद 5 में निष्कर्ष दिया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र धोखा-देही पर आधारित है और यह विचारण न्यायालय में सही पाया गया है तब ऐसे विक्रय पत्र से हक का श्रृजन नहीं होता है जिसके कारण अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 16-1-2006 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी मउगंज/हनुमना के आदेश दिनांक 4-1-2001 में तथा तहसीलदार हनुमना के आदेश दिनांक 20-10-2000 में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 230/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर